



दूरसंचार वधियक 2023

प्रलम्ब के लिये:

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, दूरसंचार सेवाएँ, स्पेसएक्स का स्टारलिक, ट्राई, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लेगेशन फंड, डिजिटल भारत नधि, प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, भारतनेट प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन लकिड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना, भारत 6जी एलायंस

मेन्स के लिये:

दूरसंचार वधियक 2023, भारत में दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति

[स्रोत: बजिनेस लाइन](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दूरसंचार वधियक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 को नरिस्त करने का प्रयास करता है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन करता है।

दूरसंचार वधियक 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिये प्राधिकरण: दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क स्थापति करने, संचालित करने, बनाए रखने या वसितार करने या रेडियो उपकरण रखने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
 - मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिये या पाँच वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जहाँ अवधि नरिदष्टि नहीं है।
- स्पेक्ट्रम का आवंटन: नरिदष्टि उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहाँ इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम प्रवामान, परिवहन, DTH तथा सैटेलाइट टेलीफोनी जैसी उपग्रह सेवाएँ एवं BSNL, MTNL व सार्वजनिक प्रसारण सेवाएँ जैसे उद्देश्य शामिल हैं।
 - केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति रेंज का पुनः प्रयोजन या पुनः नरिधारण कर सकती है। केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और सरेंडर करने की भी अनुमति दे सकती है।
- सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन: वधियक वनवेब (भारती द्वारा समर्थित) जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेसएक्स के स्टारलिक जैसी अमेरिकी-आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है।
 - वर्तमान में वनवेब और जियो को सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जिससे सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- अवरोधन और खोज की शक्तियाँ: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोकामॉनटर किया जा सकता है या अवरोधन किया जा सकता है।
 - ऐसी कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हित में आवश्यक या समीचीन होनी चाहिये और नरिदष्टि आधारों के हित में होनी चाहिये जिनमें राज्य की सुरक्षा, अपराधों को भड़काने की रोकथाम या सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है।
 - इसी आधार पर दूरसंचार सेवाओं को नलिंबित किया जा सकता है। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में किसी भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचे, नेटवर्क या सेवाओं पर अस्थायी कब्जा कर सकती है।
 - सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिये परिसरों या वाहनों की तलाशी ले सकता है।
- मानक नरिदष्टि करने की शक्तियाँ: केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण, बुनियादी ढाँचे, नेटवर्क और सेवाओं के लिये मानक तथा मूल्यांकन नरिधारित कर सकती है।
- मार्ग का अधिकार: सुविधा प्रदाता दूरसंचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये सार्वजनिक या नजि संपत्ति पर रास्ते/मार्ग का अधिकार मांग सकते हैं।
 - जहाँ तक संभव हो रास्ते का अधिकार गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-वशिष्ट आधार पर प्रदान किया जाना चाहिये।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा: केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु उपाय प्रदान कर सकती है जिसमें शामिल हैं: वजिापन संदेश यथा नरिदष्टि संदेश प्राप्त करने के लिये पूर्व सहमति, डू नॉट डिसिर्ब रजिस्ट्रों का नरिमाण और उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर या नरिदष्टि

- संदेशों की रपिपोर्ट करने की अनुमति देने के लिये एक तंत्र ।
- स्पैम कॉल और संदेशों से निपटने हेतु दूरसंचार ग्राहकों के लिये **बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण** अनिवार्य है ।
 - दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और नविवरण के लिये एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना होगा ।
 - **TRAI में नयिकृतयिः** वधियक **TRAI अधनियम में संशोधन करता है** जिससे वयक्तयिः को अधयकष/चेयरपरसन के रूप में काम करने के लिये कम-से-कम 30 वर्षों का पेशेवर अनुभव और सदस्यों के रूप में काम करने के लिये कम-से-कम 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव की अनुमति मिलती है ।
 - **डजिटल भारत नधिः** **यूनविरसल सर्विसि ऑबलगिशन फंड** की स्थापना वर्ष **1885 अधनियम** के तहत वंचित कषेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिये की गई है ।
 - वधियक इस प्रावधान को बरकरार रखता है, **फंड का नाम बदलकर डजिटल भारत नधि** रखा गया है और अनुसंधान एवं वकिस के लिये इसके उपयोग की भी अनुमति देता है ।
 - **OTT ऐप्स का वनियमनः** इसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा प्रदाताओं को बड़ी राहत देते हुए, **दूरसंचार सेवाओं की परभिषा से ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया है** ।
 - **इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय** संभावित डजिटल इंडिया अधनियम के तहत OTT ऐप्स के वनियमन को संभालेगा, जो दूरसंचार वधियक में शामिल नहीं है ।
 - **अपराध और दंडः** वधियक वभिन्न आपराधिक और नागरिक अपराधों को नरिदषिट करता है । प्राधकिरण के बिना दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधकृत पहुँच प्राप्त करना, **तीन वर्ष तक का कारावास, दो करोड रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है** ।
 - प्राधकिरण के नयिमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर **पाँच करोड रुपए तक का नागरिक जुर्माना** लगाया जा सकता है ।
 - अनधकृत उपकरण रखने या अनधकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर **दस लाख रुपए तक का जुर्माना** हो सकता है ।
 - **न्यायनरिणयन प्रकरयिः** केंद्र सरकार वधियक के तहत नागरिक अपराधों के खलिफ **जाँच करने और आदेश पारति करने के लिये एक न्यायनरिणयन अधकिारी नयिकृत करेगी** ।
 - अधकिारी संयुक्त सचवि और उससे ऊपर के पद का होना चाहयि ।
 - नरिणायक अधकिारी के आदेशों के खलिफ 30 दिनों के भीतर नामति **अपील समति के समकष अपील** की जा सकती है ।
 - नयिमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समति के आदेशों के खलिफ दूरसंचार वविद नपिटान तथा अपीलीय न्यायाधकिरण (TDSAT) में 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है ।
 - **वशिवसनीय स्रोत वयवस्थाः** संभावति रूप से प्रतकिल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के लिये वर्ष 2020 में भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद प्रारंभ में स्थापति एक उपाय **अब कानून में एकीकृत कर दिया गया है** ।

भारत में टेलीकॉम सेक्टर की स्थतिक्या है?

- **स्थतिः**
 - भारत में **दूरसंचार उद्योग** अगस्त 2023 तक 1.179 बलियन (वायरलेस + वायरलाइन उपयोगकर्त्ता) के उपयोगकर्त्ता आधार के साथ **वशिव में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग** है ।
 - यह **FDI अंतर्वाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा कषेत्र** है, जो कुल FDI अंतर्वाह में 6% का योगदान देता है ।
 - भारत में **कुल टेली-घनत्व 84.69%** है । टेली-घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या को दर्शाता है तथा दूरसंचार तक पहुँच का एक प्रमुख संकेतक है ।
 - प्रति वायरलेस डेटा उपयोगकर्त्ता की औसत मासिक डेटा खपत भी मार्च 2014 में 61.66 MB से बढ़कर मार्च 2023 में 17.36 GB हो गई है ।
- **संबंधति सरकारी पहलः**
 - **प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)**
 - **भारतनेट परयोजना** ।
 - दूरसंचार और नेटवर्कगि उत्पादों के वनरिमाण के लिये **उत्पादन आधारति प्रोत्साहन (PLI) योजना** ।
 - **भारत 6G एलायंस** ।